कालीचरण पी.जी. कॉलेज, लखनऊ

संस्थापित : 1973

कालीचरण विद्यालय इन्डाऊमेन्ट ट्रस्ट, लखनऊ - स्थापितः 1912

लाल जी टण्डन मार्ग, चौक, लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा
द्वारा अनुदानित (NAAC Accredited)

विवरणिका 2025-26

kalicharanpgcollegelko@gmail.com 0522-4952974, 0522-4952944
www.kcpgclko.in www.facebook.com/kcpgc www.twitter.com/kgpgl

अभिभावकों से ...

प्रिय महोदय,

यह हमारा और आपका सम्मिलित संकल्प है और साथ ही गम्भीर उत्तरदायित्व भी है कि संस्था में ज्ञानार्जन के लिए प्रवेश प्राप्त करने वाले आपके पाल्य (Ward) सुसंस्कृत, अनुशासित और सुशिक्षित नवयुवक बन सकें।

आइये हम और आप मिलकर निम्नलिखित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और करायें :-

1. वरीयता सूची में नाम आ जाने के बाद निर्धारित समय सीमा के अन्दर सम्बन्धित कक्षा में प्रवेश लेने के लिये अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य है। किसी भी दशा में अभिभावक के अकेले आने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। अभिभावक-गण अपने बच्चों से यह जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें कि उनका प्रवेश हो गया या नहीं और प्रवेश होने सम्बन्धी प्रमाण अवश्य देख लें।
2. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का प्रवेश एवं परीक्षा सम्बन्धी शुल्क नगद जमा नहीं होगा। आप जो भी शुल्क जमा करें उसकी रसीद अवश्य प्राप्त करें। यदि कोई असुविधा हो तो प्राचार्य से तत्काल सम्पर्क करें।
3. यदि महाविद्यालय का कोई कर्मचारी या शिक्षक आपसे नगद शुल्क जमा करने को कहता है तो आप तत्काल प्राचार्य से उसकी शिकायत दर्ज करायें।
4. अभिभावकों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को कक्षा में पढ़ने अवश्य भेजें। यदि आपके बच्चे की उपस्थिति कक्षा में 75 प्रतिशत से कम होती है, तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी और न ही स्कालरशिप एवं फीस/शुल्क प्रतिपूर्ति के फार्म अग्रसारित किये जायेंगे। इस बात में ढील देने के लिए अभिभावक-गण प्राचार्य पर दबाव न बनायें।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने मात्र से परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथि तक परीक्षा फार्म अवश्य जमा करें। सम्बन्धित लिपिक से रसीद अवश्य प्राप्त करें।
6. प्रवेश सम्बन्धी जो भी दिशा निर्देश शासन या विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत किये जायेंगे, महाविद्यालय उन्हीं निर्देशों का पालन करेगा।
7. महाविद्यालय के विद्यार्थियों (Students) / छात्रों-छात्राओं हेतु निर्धारित गणवेश (Uniform) लागू किया गया है।
8. अभिभावक गण यह सुनिश्चित करें कि उनके बच्चे (छात्र-छात्राएं) महाविद्यालय के निर्धारित गणवेश (Uniform) में ही महाविद्यालय आयें।
9. बी.ए., बी.बी.ए, बी.एल.आई.एस.सी., बी.जे.एम.सी. के छात्र/छात्राओं के लिए -

   कुर्ता/शर्ट - क्रीम कलर, सलवार/ पैंट-नेवी ब्लू, टाई-डार्क ब्लू।

   जाड़े हेतु - नेवी ब्लू स्वेटर अथवा इसी रंग का ब्लेजर। काले जूते व सफेद मोज़े।
10. विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए -

    कुर्ता/शर्ट - चेकदार पीच, सलवार/ पैंट-नेवी ब्लू, टाई-डार्क ब्लू।

    जाड़े हेतु - नेवी ब्लू स्वेटर अथवा इसी रंग का ब्लेजर। काले जूते व सफेद मोज़े।

(प्रो. चन्द्र मोहन उपाध्याय)
प्राचार्य

-: विशेष :-

छात्रों/छात्राओं को चाहिए कि इस विवरण पुस्तिका का सावधानी से अवलोकन करें और तद्नुरूप अध्ययन में प्रवृत्त हों। विभागवार समय-सारिणी के अनुसार कक्षाओं में अपनी शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करायें।

संस्थापित: 1973

विवरणिका
2025-26

प्रो0 चन्द्र मोहन उपाध्याय
प्राचार्य

इं0 वी0 के0 मिश्र
प्रबन्धक

कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डाऊमेन्ट ट्रस्ट, लखनऊ
स्थापित: 1912

कालीचरण पी.जी. कॉलेज, लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुदानित (**NAAC Accredited**)

:www.kcpgclko.in kalicharanpgcollegelko@gmail.com
Follow Us: :www.facebook.com/kcpgc :www.twitter.com/kgpgl
HelpLine No.: 0522-4952974

अनुक्रमणिका

क्र.सं0		पृष्ठ संख्या
1.	संस्था का संगठन एवं इतिहास	3
2.	प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश	4–6
3.	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण	6
	व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Professional Courses)	6
	स्नातक कला (Bachelor of Arts)	6
	स्नातक वाणिज्य (Bachelor of Commerce)	7
	स्नातक विज्ञान (Bachelor of Science)	7
4.	स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश सम्बन्धी नियम	7
5.	परास्नातक पाठ्यक्रम (Post Graduate Courses)	8
6.	प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम (Certificate Courses)	8
7.	परास्नातक (एम0ए0 / एम0कॉम0) के प्रथम वर्ष में प्रवेश सम्बन्धी नियम	9
8.	अन्य नियम एम0ए0 / एम0कॉम0 हेतु	9
9.	शुल्क विवरण	10
10.	आरक्षण का विवरण	11
11.	भारण (Weightage)	11
12.	वाणिज्य एवं कला परिषद	12
13.	परिचय पत्र	12
14.	छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियम	12
15.	सूचनाओं का प्रदर्शन	12
16.	क्रीड़ा व अन्य शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों का विवरण	13
17.	'द एकेडमिया' शोध पत्रिका का प्रकाशन	13
18.	'वाणी' पत्रिका का प्रकाशन	13
19.	मासिक न्यूज बुलेटिन 'सन्मार्ग' का प्रकाशन	13
20.	पुस्तकालय सम्बन्धी नियम	13
21.	स्थायी आदेश	14–15
22.	कार्यालय निर्देश	16
23.	मुख्य नियन्ता द्वारा अनुशासन सम्बन्धी निर्दिष्ट नीति	16
24.	महाविद्यालय प्रबन्ध समिति की संरचना	17
25.	महाविद्यालय की अकादमिक संरचना	17–18
26.	शिक्षणेत्तर वर्ग	19
27.	सम्पर्क सूत्र	19
28.	आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया	20

संस्था का संगठन एवं इतिहास

आज से 112 वर्ष पूर्व परम् विद्यानुरागी एवं कर्मठ समाज सेवी स्वर्गीय लाला कालीचरण जी की इच्छानुसार शिक्षा की दिव्य किरणों को विकीर्ण करने हेतु लखनऊ जनपद के पश्चिमी क्षेत्र चौक में ज्ञान पुंज के इस सबल केन्द्र की स्थापना कालीचरण हाईस्कूल विद्यालय के रूप में सन् 1913 में हुयी थी । इस संस्था की स्थापना एवं विकास में प्रख्यात समाजसेवी स्वर्गीय श्री गंगाप्रसाद वर्मा जी का अत्यन्त सराहनीय एवं अविस्मरणीय योगदान रहा है । वे इस विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक थे। सन् 1948 में इस विद्यालय को इण्टरमीडिएट की मान्यता प्राप्त हुयी। इसके सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक अप्रतिम साहित्यानुरागी एवं हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ लेखक स्वर्गीय बाबू श्यामसुन्दर दास जी थे । तदुपरान्त प्रमुख शिक्षा–शास्त्री श्री कालीदास कपूर प्रधानाचार्य बने। बाबू हरिकृष्ण धवन, जिनके नाम पर कालीचरण पी0जी0 कालेज का प्रशासनिक भवन बना है, के कार्यकाल में कालीचरण इण्टर कालेज बना, उनके कुशल प्रबन्धकत्व (1925–1941) में संस्था का शैक्षणिक एवं प्रशासनिक वातावरण काफी उत्कृष्ट रहा। कालान्तर में उच्च शिक्षा की महती आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु कुछ उत्साही शिक्षाविदों के सतत् प्रयत्नों के फलस्वरूप 6 दिसम्बर 1973 को कालीचरण महाविद्यालय की स्थापना हुई । 1973 से वर्ष 1989 तक श्री विश्वनाथ टंडन ने इस डिग्री कालेज के संस्थापक प्राचार्य के रूप में कार्य कर अवकाश ग्रहण किया । 1973 में डॉ0 पी.एन. शर्मा संस्था के प्रबंधक थे। इस संस्था का संचालन कालीचरण विद्यालय हाईस्कूल इन्डाउमेन्ट ट्रस्ट, लखनऊ, जिसका गठन 22 जून 1912 में हुआ था, के तत्त्वावधान में होता है। लखनऊ जनपद के माननीय जिलाधिकारी। इस संगठन के पदेन अध्यक्ष हैं। यह संगठन कला, वाणिज्य, शिक्षाशास्त्र आदि ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में प्रगति और शिक्षा प्रसार के पावन उद्देश्य से बनाया गया है। सत्र 2004–05 से परास्नातक पाठयक्रम एम.ए. समाजशास्त्र एवं एम.काम. (वाणिज्य) विषय की परास्नातक कक्षायें भी महाविद्यालय में संचालित की जा रहीं हैं। सत्र 2014–15 से महाविद्यालय में दो नये पाठ्यक्रम एम.ए. हिन्दी एवं एम.काम. व्यावहारिक अर्थशास्त्र संचालित किये जा रहे हैं। सत्र 2020–21 से एम.ए. शिक्षाशास्त्र, बी.कॉम (आनर्स), बी.एल.आई.सी (पुस्तकालय विज्ञान)–पाठ्यक्रम संचालित हो रहे है। **सत्र 2023–24 से बी.एस.सी.(भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और कम्प्यूटर साइंस) के पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।** इसी क्रम में राजगारोन्मुख बी.बी.ए. को भी सत्र 2023–24 से संचालित किया जा रहा है। छात्रों–छात्राओं के शारीरिक सौष्ठव, विकास एवं क्रीड़ा सम्बन्धी कार्यक्रमों का संचालन प्रभावपूर्ण ढंग से सुनिश्चित किया जाता है। छात्रों / छात्राओं में स्वावलम्बन एवं सहकारिता की भावना के विकास के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का भी संचालन किया जाता है।

स्वर्गीय लाला कालीचरण जी के नकद तथा भू–सम्पत्ति के उदार दान के फलस्वरूप उक्त महाविद्यालय की स्थापना हुई, जिसने स्नातक महाविद्यालय के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्ष 1973 में सहयुक्तता प्राप्त की। संस्था, शिक्षा के इस प्रकार के नियोजन का स्वप्न देखती है जिसमें युवक और युवतियाँ न केवल अपने अध्ययन के निर्धारित पाठ्यक्रम में निपुणता अर्जित करें वरन् उनके व्यक्तित्व पर हमारी भारतीय गरिमामयी समृद्ध संस्कृति की छाप स्पष्टतः अंकित हो सके और वे राष्ट्र की सेवा के पावन कार्य में सन्नद्ध हो सकें। संस्था, विद्यार्थियों के चरित्र–निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनसे यह अपेक्षा करती है कि वे सच्चे अर्थों में आदर्श नागरिक बन सकें।

प्रवेश सम्बन्धी आवश्यक निर्देश

प्रवेश हेतु छात्र–छात्राएं कॉलेज की वेबसाइट www.kcpgclko.in पर रजिस्ट्रेशन कर फार्म भर सकते हैं। विवरण पुस्तिका अभ्यर्थी के मार्गदर्शन के लिये है। फार्म भरने से पूर्व अभ्यर्थी को चाहिए कि वह विवरण पुस्तिका का अध्ययन भलीभाँति अवश्य कर लें। पुस्तिका फार्म के साथ जमा न करें।

1. आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ सावधानीपूर्वक भरें। किसी भी गलत प्रविष्टि का उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। अपूर्ण अथवा गलत भरे गये प्रवेश फार्म निरस्त कर दिये जायेंगे।

2. प्रवेशार्थी के लिए महाविद्यालय के निर्धारित आवेदन–पत्र पर ही आवेदन करना होगा। आवेदन–पत्र निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय में अवश्य जमा कर दें। आवेदन–पत्र के साथ मूल अंकतालिकायें अथवा किन्हीं अन्य मूल प्रपत्रों को कदापि संलग्न न करें। डाक द्वारा भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन–पत्र के साथ हाई–स्कूल तथा इण्टरमीडिएट परीक्षा की अंकतालिकाओं की स्वयं सत्यापित छाया प्रतियाँ अवश्य संलग्न करें, अन्यथा आवेदन–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करने की पावती / रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।

4. अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र की जाँच के उपरान्त मेरिट सूची के अनुसार प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रिया पूरी की जायेगी।

5. केवल आवेदन पत्र जमा करने मात्र से ही प्रवेश सुनिश्चित नहीं होगा।

6. मेरिट सूची इण्टरमीडिएट / स्नातक के प्राप्तांकों के आधार पर बनाई जायेगी। प्रवेश हेतु वर्ष 2025, 2024, 2023, 2022 और 2021 में इण्टरमीडिएट / स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के आवेदन पत्र पर ही विचार किया जायेगा। इसके पूर्व के वर्षो में उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं के आवेदन पर किसी भी दशा में विचार नहीं होगा। उत्तीर्ण वर्ष के संबंध में ल0वि0वि0 की प्रवेश समिति का निर्णय मान्य होगा। एम0 ए0 में प्रवेश हेतु स्नातक उत्तीर्ण वर्ष की बाध्यता शिथिलनीय है।

7. प्रवेश से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं के लिए अभ्यर्थी महाविद्यालय सूचना–पट देखते रहें एवं महाविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करें। किसी भी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से सूचित करने का दायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।

8. प्रवेश के समय निम्नलिखित (प्रपत्र) अनिवार्यतः प्रस्तुत करने होंगे।

   अ. पासपोर्ट आकार की नवीनतम स्वयं की एक फोटो।

   ब. हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट एवं आवश्यकतानुसार स्नातक की अंकतालिकाओं और प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियाँ एवं स्व प्रमाणित प्रत्येक की एक–एक छाया प्रति।

   कालीचरण पी.जी. कालेज, लखनऊ के पक्ष में देय निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट ।

   छात्रों / छात्राओं को चालान या स्वाइप मशीन द्वारा भी फीस जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।

   द. अन्तिम संस्था के प्राचार्य / संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।

   य. अन्तिम संस्था के प्राचार्य / संस्था प्रमुख द्वारा प्रदत्त स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) की मूल प्रति।

   र. व्यक्तिगत प्रवेशार्थियों के लिये केन्द्र प्रमाणपत्र तथा उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और चरित्र प्रमाण–पत्र मूलरूप से मजिस्ट्रेट / राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त करना होगा।

   ल. नोटरी से अंतर वर्ष (Gap Year) का हलफनामा (Affidavit) लगाना होगा।

   व. प्रवेश के समय फार्म की जमा रसीद लाना अनिवार्य होगा।

   श. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा।

9. उपर्युक्त प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात् **अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश शुल्क निर्धारित तिथि तक कालीचरण**

पी.जी. कॉलेज'', लखनऊ के पक्ष में देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/आनलाईन पेमेंट के माध्यम से महाविद्यालय के कार्यालय में जमा करना होगा।

10. **एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में न तो वापस किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित। अतः अभ्यर्थी को सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि वह वरीयता सूची में आ गया है और सही शुल्क जमा कर रहा है।**

11. समय से वांछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने पर व निर्धारित तिथि तक प्रवेश बैंक ड्राफ्ट द्वारा या चालान द्वारा शुल्क जमा न करने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के प्रवेश का अधिकार स्वतः निरस्त हो जायेगा और उसके स्थान पर योग्यता सूची में अगले अभ्यर्थी को प्रवेश दे दिया जायेगा।

12. प्रवेश के समय छात्र जैसे ही देय धनराशि अदा करेगा, प्रवेश–संख्या अंकित कर उसका प्रवेश सुनिश्चित कर लिया जायेगा। इसके बाद उसको फोटो युक्त, फीस रसीद एवं परिचय–पत्र दिया जायेगा।

13. इस शिक्षण संस्था में पढ़ रहे छात्र/छात्रा इस महाविद्यालय के छात्रों/छात्राओं के अभिभावक के रूप में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

14. बी.कॉम प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अनिवार्य है कि अभ्यर्थी ने उ.प्र. माध्यमिक शिक्षा परिषद/केन्द्रीय बोर्ड की इण्टरमीडिएट/10+2 परीक्षा वाणिज्य विषय से उत्तीर्ण की हो अथवा अर्थशास्त्र व गणित एक विषय के रूप में लिया हो एवं सभी विषयों में पूर्ण योग के रूप में कम से कम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, परन्तु अनुसूचित जाति /जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये पूर्ण योग के प्राप्तांक कम से कम 36 प्रतिशत होना चाहिये।

15. प्रत्येक अभ्यर्थी का यह दायित्व है कि वह महाविद्यालय कार्यालय में निर्धारित तिथि व समय तक अपना आवेदन पत्र जमा करके सम्बन्धित व्यक्ति से रसीद प्राप्त कर लें। यदि रसीद मिलने में कोई असुविधा हो रही हो तो तत्काल प्राचार्य से सम्पर्क करें।

16. जो छात्र/छात्रा कला स्नातक या वाणिज्य स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उन्हें पुनः स्नातक कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। (विश्वविद्यालय के पत्र सं. 2554/2000 दिनांक 2.8.2000 के अनुसार)।

17. जो छात्र महाविद्यालय में बी.कॉम. एवं बी.ए. के प्रथम, द्वितीय वर्ष में पढ़ रहे हैं अथवा उत्तीर्ण कर चुके हैं उन्हें संकाय बदलने की अनुमति नहीं होगी।

18. वार्षिक परीक्षा फार्म प्रवेश के समय आवेदन पत्र के साथ या जब वि0वि0 निर्धारित करेगा, तब प्रत्येक छात्र/छात्रा व्यक्तिगत रूप से जमा करेगा/करेगी तथा परीक्षा फार्म जमा करने की रसीद सम्बन्धित लिपिक से तुरन्त अवश्य प्राप्त करें। यदि कोई असुविधा हो रही है तो प्राचार्य को तत्काल अवगत करायें और तब तक महाविद्यालय में बने रहें जब तक कि फार्म जमा करने की रसीद प्राप्त न हो जाये। वार्षिक परीक्षा फार्म जमा किये गये बच्चों की सूची या न जमा किये छात्रों/छात्राओं की सूची सूचना पट्ट पर चस्पा की जायेगी। किसी प्रकार की समस्या है तो तत्काल प्राचार्य को लिखित में अवगत करायें जिससे परीक्षा के समय आपको कोई असुविधा न हो।

नोटः

1. जिस विद्यार्थी का किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से निष्कासन हो गया है, इस महाविद्यालय में उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी छात्र/छात्रा ने धोखे से निष्कासन के तथ्य को छिपाकर प्रवेश पा लिया, तो जैसे ही तथ्य प्रकाश में आता है तत्काल उसका इस महाविद्यालय से निष्कासन कर दिया जायेगा। इसी प्रकार, यदि किसी छात्र के विरुद्ध किसी अदालत में कोई आपराधिक मामला चल रहा है तो उसको प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
2. आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट और आवश्यकतानुसार स्नातक की अंकतालिकाओं की स्वयं सत्यापित छायाप्रतियां अवश्य संलग्न करें । अन्यथा आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. वरीयता सूची में अभ्यर्थी का नाम आ जाने पर प्रवेश के समय सम्बन्धित अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

4. न्यूनतम अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश यदि त्रुटिवश हो गया है तो जैसे ही संज्ञान में आयेगा उसका प्रवेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण

व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Professional Courses)

क्र. सं.	संचालित पाठ्यक्रम	सीटों की संख्या	योग्यता (%)
1.	बी.जे.एम.सी. Bachelor of Journalism and Mass Communication	60	इण्टर सामान्य– 50% पिछड़ा वर्ग– 50% अनु.जाति–45%
2.	बी.एल.आई.एस. Bachelor of Library and Information Science	60	स्नातक सामान्य– 50% पिछड़ा वर्ग– 50% अनु.जाति–45%
3.	बी.बी.ए. Bachelor of Business Administration	60	स्नातक सामान्य– 50% पिछड़ा वर्ग– 50% अनु.जाति–45%

स्नातक कला (Bachelor of Arts)

क्र. सं.	संचालित पाठ्यक्रम	सीटों की संख्या	योग्यता (%)
1.	बी.ए. (Bachelor of Arts) हिन्दी (Hindi) समाजशास्त्र (Sociology) शिक्षा शास्त्र (Education) एशियन कल्चर (Asian Culture) प्राचीन भारतीय इतिहास (Ancient Indian History) राजनीति विज्ञान (Political Science) अर्थशास्त्र (Economics) शारीरिक शिक्षा (Physical Education) भूगोल (Geography) अंग्रेजी (English) आधुनिक भारतीय इतिहास (History)	800	इण्टरमीडिएट सामान्य– 40% पिछड़ा वर्ग– 40% अनु.जाति–36%

स्नातक वाणिज्य (Bachelor of Commerce)

क्र.सं.	संचालित पाठ्यक्रम	सीटों की संख्या	योग्यता (%)
1.	बी.कॉम (Bachelor of Commerce)	360	इण्टरमीडिएट सामान्य– 40% पिछड़ा वर्ग– 40% अनु.जाति–36%

स्नातक विज्ञान (Bachelor of Science)

क्र.सं.	संचालित पाठ्यक्रम	सीटों की संख्या	योग्यता (%)
1.	बी.एस.सी. (Bachelor of Science) ➢ भौतिक विज्ञान (Physics) ➢ रसायन विज्ञान (Chemistry) ➢ गणित (Maths) ➢ कम्प्यूटर साइंस (Computer Science) ➢ जन्तुविज्ञान (Zoology) ➢ वनस्पति विज्ञान (Botany)	240	इण्टरमीडिएट (गणित / जीव विज्ञान) सामान्य– 40% पिछड़ा वर्ग– 40% अनु.जाति–36%

स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उपर्युक्त विषयों में से अभ्यर्थी को किन्हीं दो विषयों का चयन मेजर (Major) विषय के रूप में करना होगा एवं एक विषय का चयन माइनर (Minor) विषय के रूप करना होगा। मेजर विषयों का अध्ययन तृतीय वर्ष पर्यन्त एवं माइनर विषय का अध्ययन द्वितीय वर्ष पर्यन्त तक करना होगा।

2. नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार Co-curricular/Vocational कोर्स का चयन भी पाठ्यक्रम के अनुसार करना होगा।

3. भ्रम की स्थिति में छात्र–छात्राएं प्रवेश समिति / शिक्षक / कार्यालय से सम्पर्क कर समस्या का समाधान कर सकते हैं।

4. विषय का आवंटन उपलब्ध सीट तथा मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा।

परास्नातक पाठ्यक्रम (Post Graduate Courses)

क्र. सं.	संचालित पाठ्यक्रम	सीटों की संख्या	योग्यता (%)
1.	परास्नातक समाजशास्त्र (M.A. Sociology)	60	स्नातक सामान्य– 45% पिछड़ा वर्ग– 45% अनु.जाति–40%
2.	परास्नातक हिन्दी (M.A. Hindi)	60	स्नातक सामान्य– 45% पिछड़ा वर्ग– 45% अनु.जाति–40%
3.	परास्नातक शिक्षा शास्त्र (M.A. Education)	40	स्नातक सामान्य– 45% पिछड़ा वर्ग– 45% अनु.जाति–40%
4.	परास्नातक राजनीति विज्ञान (M.A. Political Science)	60	स्नातक सामान्य– 45% पिछड़ा वर्ग– 45% अनु. जाति– 40%
5.	परास्नातक वाणिज्य (M.Com. Pure)	60	स्नातक (वाणिज्य) सामान्य– 48% पिछड़ा वर्ग– 48% अनु.जाति–40%
6.	परास्नातक व्यवहारिक अर्थशास्त्र (M.Com. Applied Economics)	60	स्नातक (वाणिज्य) सामान्य– 45% पिछड़ा वर्ग– 45% अनु.जाति–40%

प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम (Certificate Courses)

क्र. सं.	संचालित पाठ्यक्रम	सीटों की संख्या	योग्यता (%)
1.	Certificate Course in Computer	30	इण्टरमीडिएट
2.	Certificate Course in Functional English	30	
3.	Certificate Course in हिन्दी भाषा दक्षता सवंर्धन	30	
4.	Certificate Course in Yoga	30	
5.	Certificate Course on Research Methods in Social Science	25	**परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए।**
6.	Certificate Course in French Language		

• परास्नातक (एम0ए0/एम0कॉम0) के प्रथम वर्ष में प्रवेश सम्बन्धी नियम

1) त्रिवर्षीय स्नातक (10+2+3) परीक्षा में सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक के साथ एवं अनुसूचित जाति/अनु0 जनजाति के अभ्यार्थी को न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए ।

2) अभ्यर्थी जिस विषय से एम0ए0/एम0 काम करना चाहते हैं, वह विषय स्नातक पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष में अनिवार्य रूप से पढ़ा होना चाहिए।

3) एम0ए0 में प्रवेश हेतु अन्य विषयों में स्नातक होने पर तथा अन्तिम वर्ष में वह विषय न होने पर अभ्यर्थी के बी0ए0 में सा0/पि0 वर्ग के 60 प्रतिशत अंक और अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए–55 प्रतिशत होना आवश्यक है।

4) एम0काम0 (व्यावहारिक अर्थशास्त्र) में प्रवेश के लिए बी0काम0 एवं बी0ए0 अंतिम वर्ष में अर्थशास्त्र विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

5) अभ्यर्थी एक साथ दो परास्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययन नहीं कर सकता है।

6) लखनऊ विश्वविद्यालय/कालीचरण महाविद्यालय के पास किसी भी प्रवेश को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का पूरा अधिकार होगा।

7) किसी भी तथ्य को छिपाकर लिया गया प्रवेश तथ्य प्रकटीकरण पर स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।

अन्य नियम एम.ए./एम. कॉम. हेतु

☞ परास्नातक स्तर पर समस्त विषयों में प्रत्येक प्रश्नपत्र 100 अंक का होगा, जिसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा होगी और 30 अंक के आंतरिक मूल्यांकन होगा। आन्तरिक मूल्यांकन छात्र/छात्राओं की कक्षा में उपस्थिति, प्रोजेक्ट एवं लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा।

☞ उक्त मूल्यांकन प्रत्येक सेमेस्टर में प्रत्येक विषय में प्राध्यापन कार्य करने वाले कक्षा/विषय प्राध्यापक द्वारा किया जायेगा।

☞ प्रत्येक छात्रं/छात्राओं की महाविद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य रूप से विषय एवं प्रश्नपत्र के अनुक्रम में 75 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। अन्यथा उसे परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।

☞ उक्त लिखित वाहय मूल्यांकन/आंतरिक मूल्यांकन प्रत्येक सेमेस्टर में केवल एक बार होगा, इसलिए छात्र/छात्रा शिक्षक के सम्पर्क में रहें, नोटिस बोर्ड का अवलोकन करते रहें और वेबसाइट देखते रहें।

पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी हेतु

कालीचरण महाविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अनुसरण करें।

Kalicharan Degree College: www.kcpgclko.in

Lucknow University : www.lkouniv.ac.in

शुल्क

शैक्षिक सत्र 2024–25 में स्नातक/परास्नातक कक्षाओं का शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट (डी.डी.) द्वारा अथवा ऑन लाइन जमा किया जा सकता है, डी.डी. किसी भी राष्ट्रीय बैंक द्वारा ''कालीचरण पी0जी0 कालेज'', लखनऊ ("Kalicharan P.G. College", Lucknow) के पक्ष में देय होगा। अभ्यर्थी ऑन–लाइन भुगतान के लिए कार्यालय में सम्पर्क करें।

शुल्क विवरण–
स्नातक – चार वर्षीय पाठ्यक्रम

	पाठ्यक्रम	शुल्क रूपये में
1.	बी0ए0 प्रथम वर्ष नियमित (बालक)*	5310.00 वार्षिक (परीक्षा शुल्क सहित)
2.	बी0ए0 प्रथम वर्ष नियमित (बालिका)*	5178.00 वार्षिक (परीक्षा शुल्क सहित)
3.	बी0कॉम प्रथम वर्ष	12600.00 वार्षिक (परीक्षा शुल्क सहित)
4.	बी0ए0 प्रथम वर्ष (स्ववित्तपोषित)	8500.00 वार्षिक (परीक्षा शुल्क सहित)
5.	बी0एस0सी0 (स्ववित्तपोषित)*#	7000.00 (प्रति सेमेस्टर)

स्नातकोत्तर/व्यावसायिक पाठ्यक्रम

	पाठ्यक्रम	शुल्क रूपये में
1.	एम0ए0 (समाजशास्त्र) (4 सेमेस्टर)*#	5500.00 प्रति सेमेस्टर
2.	एम0ए0 (हिन्दी) (4 सेमेस्टर)*#	5500.00 प्रति सेमेस्टर
3.	एम0ए0 (शिक्षाशास्त्र) (4 सेमेस्टर)*#	5500.00 प्रति सेमेस्टर
4.	एम0ए0 (राजनीति विज्ञान) (4 सेमेस्टर)*#	5500.00 प्रति सेमेस्टर
5.	एम0कॉम0 (वाणिज्य) (4 सेमेस्टर)*#	8000.00 प्रति सेमेस्टर
6.	एम0 कॉम0 (व्यवहारिक अर्थशास्त्र) (4 सेमेस्टर)*#	7000.00 प्रति सेमेस्टर
7.	बी0एल0आई0एस0सी0 (2 सेमेस्टर)*#	8000.00 प्रति सेमेस्टर
8.	बी0जे0एम0सी0–पत्रकारिता (8 सेमेस्टर)*#	7000.00 प्रति सेमेस्टर
9.	बी0बी0ए0 (8 सेमेस्टर) (स्ववित्तपोषित)*#	10000.00 प्रति सेमेस्टर

नोटः–

* लखनऊ विश्वविद्यालय के नियमानुसार LURN नामांकन शुल्क अतिरिक्त देय होगा। यदि पहले से नामांकित है तो शुल्क नहीं देय होगा।

लखनऊ विश्वविद्यालय के अनुसार परीक्षा शुल्क प्रति सेमेसटर अतिरिक्त देय होगा।
इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी हेतु अतिरिक्त फीस रु0 1000/– देय होगी। (केवल व़िद्यार्थियों को)

आरक्षण एवं भारण नीति

सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये उपलब्ध कुल स्थानों पर 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के तथा 27 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के मानकानुसार आरक्षण दिया जायेगा। उक्त आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिये अभ्यर्थी को जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार अथवा समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी होगी तथा प्रवेश के समय मूल प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन-पत्र में अपनी निम्नलिखित श्रेणी संख्या नियमानुसार अवश्य अंकित करें।

आरक्षित वर्ग	आरक्षण प्रतिशत
अनुसूचित जाति	21%
अनुसूचित जनजाति	2%
अन्य पिछड़े वर्ग (ओ.बी.सी.)	27%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.)	10%

भारण (Weightage)

अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु निम्न तालिकानुसार भारण प्रदान किया जायेगाः-

श्रेणी	भारण प्रतिशत	मान्य प्रमाण-पत्र
उत्कृष्ट खिलाड़ी	05	किसी प्रदेश अथवा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मान्यता प्राप्त खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भागीदारी का प्रमाण-पत्र
दिव्यांग	05	जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, के पुत्र/पुत्री/पौत्र, अविवाहित पौत्री	05	जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण -पत्र
एन.सी.सी.	05	''बी'' प्रमाण-पत्र
ल.वि.वि. सहयुक्त महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	10	कुल सचिव/संबधित प्राचार्य द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र
कालीचरण विद्यालय इण्डाउमेंट अन्तर्गत संचालित सभी शैक्षिक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	10	संबधित प्रधानाचार्य का/ट्रस्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

अभ्यर्थी उपरोक्त आरक्षण एवं भारण श्रेणियों में केवल एक श्रेणी का लाभ ले सकता है। आरक्षण अथवा भारण की सुविधा प्राप्त करने के लिये आवेदन अपनी पात्रता के वांछित प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छाया–प्रति आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें अन्यथा उन्हें आरक्षण अथवा भारण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

नोट : संस्था के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए प्राचार्य को किसी भी छात्र/छात्रा के प्रवेश को अस्वीकृत व निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

वाणिज्य परिषद

महाविद्यालय में वाणिज्य विभाग छात्र–छात्राओं के समग्र विकास एवं पाठ्येत्तर क्रिया कलापों में सहभागिता हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य की अध्यक्षता एवं वाणिज्य विभाग के प्रभारी के संयोजकत्व में वणिज्य परिषद का गठन किया गया है। महाविद्यालय के माननीय प्रबन्धक, वाणिज्य परिषद के पदेन संरक्षक हैं। वाणिज्य परिषद की सदस्यता शुल्क रू.60/– प्रति छात्र–छात्रा देय होगा। परिषद के संयोजक की अनुमति से अन्य संकाय के छात्र–छात्राएं भी निर्धारित शुल्क प्रदान करके परिषद के कार्यक्रमों में सहभागिता कर सकेंगे।

परिचय पत्र

संस्था में प्रवेश के अधिकतम एक सप्ताह बाद प्रत्येक विद्यार्थी को सम्बन्धित लिपिक से अपना परिचय–पत्र प्राप्त कर लेना चाहिये। जिन विद्यार्थियों के पास परिचय–पत्र नहीं होंगे, उन्हें कोई सुविधाएं नहीं दी जा सकेंगी, जो संस्था के विधि पूर्वक अन्य प्रविष्ट छात्र/छात्राएं को प्रदान की जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी महाविद्यालय में आते समय अपना परिचय–पत्र अवश्य रखेगा। पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करते समय, चरित्र प्रमाण–पत्र लेते समय तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर मांगे जाने पर उसे अपना परिचय–पत्र अवश्य प्रस्तुत करना होगा। यदि परिचय–पत्र खो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है तो दूसरी प्रति लेने के लिए महाविद्यालय कार्यालय में दण्ड स्वरूप रू 50.00 की धनराशि जमा करनी होगी एवं प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियम

अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति, पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक कल्याण छात्रवृत्ति राष्ट्रीय छात्रवृत्ति, छात्र कल्याण निधि सहायता आदि विभिन्न छात्रवृत्तियों हेतु सूचना नोटिस बोर्ड पर दी जाती है। छात्र/छात्राएं निर्दिष्ट तिथियों पर प्रमाण –पत्रों सहित आवेदन पत्र जमा करें। **उन्हीं छात्रों/छात्राओं का आवेदन पत्र महाविद्यालय द्वारा अग्रसारित होगा, जिनकी उपस्थिति कक्षावार/विषयवार 75 प्रतिशत से अधिक होगी। 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्रों/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं प्राप्त होगी।** अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र, छात्रवृत्ति, फार्म तथा उसके साथ मूल जाति एवं आय प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय अवश्य जमा करें अन्यथा छात्रवृत्ति का उत्तरदायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित कर लें कि छात्रवृत्ति फार्म जमा करते समय अपने किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का एकाउन्ट नं. अवश्य लिखें क्योंकि आपकी छात्रवृत्ति सीधे आपके खाते में शासन द्वारा भेजी जायेगी।

सूचनाओं का प्रदर्शन

महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और अन्य गतिविधियों से सम्बन्धित सूचनाएं महाविद्यालय के सूचना पट एवं कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेंगी । छात्रों/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे सूचना पट एवं कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित सूचनाओं को अवश्य पढ़ें तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करें।

क्रीड़ा व अन्य शिक्षणेत्तर कार्यक्रमों का विवरण

छात्र/छात्राओं का पुस्तकीय शिक्षा के अतिरिक्त सह–शिक्षणेत्तर क्रिया– कलापों में अपनी अभिरुचि व प्रतिभा के अनुसार विविध प्रतियोगिताओं में भाग लेना अपेक्षित है। महाविद्यालय में एन.एस.एस. व रेड–रिबन क्लब कार्यक्रमों में भाग लेने के अवसर भी उपलब्ध हैं।

महाविद्यालय में क्रीड़ा की उचित व्यवस्था है। क्रीड़ा सप्ताह मनाये जाने के साथ विभिन्न अन्तर्महाविद्यालयी खेल–कूद कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। इस सम्बन्ध में सूचनाएं महाविद्यालय के सूचना–पट पर प्रदर्शित की जायेगी। महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा क्रीड़ा समिति का गठन किया गया है, जो क्रीड़ा की व्यवस्था सम्पन्न करती है किसी भी छात्र/छात्रा को कोई भी क्रीड़ा सामग्री घर ले जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में अन्तर्महाविद्यालयी सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है ताकि छात्रों/छात्रओं की अंतर्मुखी प्रतिभा को निखरने का एक मंच मिल सके।

'द एकेडमिया' शोध पत्रिका का प्रकाशन

महाविद्यालय के द्वारा पीयर रिव्यूड, अर्धवार्षिक शोध पत्रिका 'द एकेडमिया' (THE ACADEMIA) ISSN 2583. 8830 का प्रकाशन महाविद्यालय की वेबसाइट पर नियमित रूप से किया जा रहा है। जिसमें प्राध्यापकों, शोधार्थियो एवं विद्यार्थियों के उच्च गुणवत्ता वाले शोध–पत्रों का प्रकाशन किया जाता है।

'वाणी' पत्रिका का प्रकाशन

महाविद्यालय के छात्र/छात्राओं के रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए महाविद्यालय द्वारा पत्रिका ''**वाणी**'' का प्रकाशन किया जाता है, जिसमें छात्रों/छात्राओं के लेख तथा महाविद्यालय की वार्षिक गतिविधियों का विवरण तथा प्राध्यापकों के लेख होते हैं।

मासिक न्यूज बुलेटिन 'सन्मार्ग' का प्रकाशन

महाविद्यालय द्वारा मासिक न्यूज बुलेटिन 'सन्मार्ग' का प्रकाशन ऑनलाइन महाविद्यालय की वेबसाइट पर किया जाता है। जिसमें महाविद्यालय की मासिक गतिविधियों से सम्बन्धित समाचार को प्रकाशित किया जाता है।

पुस्तकालय सम्बन्धी नियम

1. प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पश्चात पुस्तकालय में प्रवेश की रसीद की मूलप्रति को दिखाकर प्रवेश लेने के एक माह के अन्दर पुस्तकालय–कार्ड बनवाना अनिवार्य है, जिससे यथाशीघ्र वह पुस्तकालय से अपने विषय की उपयोगी पुस्तके प्राप्त करके लाभान्वित हो सके।
2. छात्रों/छात्राओं को तीस दिन के लिए दो पुस्तकें दी जायेंगी। वापसी तिथि के अन्दर पुस्तक न लौटाने पर प्रतिदिन रू 2.00 अर्थदण्ड देय होगा।
3. पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को एक दिन पूर्व मांग–पत्र पुस्तकालय काउण्टर पर भरकर देना होगा तभी उसे दूसरे दिन पुस्तकें काउण्टर से मिल सकेंगी।
4. छात्रों/छात्राओं के अनुरोध पर एक महीने पश्चात् उसी पुस्तक को उसे पुनः आवंटित भी किया जा सकता

है। ऐसा विशेष परिस्थितियों में उस पुस्तक की मांग अन्य छात्रों द्वारा न किये जाने पर ही होगा।

5. पुस्तकें लेते समय छात्रों–छात्राओं को चाहिए कि पुस्तकों की भली भाँति जाँच कर लें यदि पुस्तकें लौटाते समय फटी हुई व क्षतिग्रस्त स्थिति में पायी जाती है अथवा खो जाती हैं तो उन पुस्तकों के वर्तमान क्रय मूल्य के साथ पूरा मूल्य रू 50.00 अतिरिक्त दण्ड स्वरूप सम्बन्धित छात्रों–छात्राओं को जमा करना होगा।

6. परीक्षा प्रारम्भ होने से 15 दिन पूर्व सभी पुस्तकों को पुस्तकालय में लौटा देना होगा। अन्यथा छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जायेगा। पुस्तकों और पत्र–पत्रिकाओं को देने का उत्तरदायित्व सभी विद्यार्थियों का है।

7. पुस्तकालय के समस्त नियमों का पालन करना छात्रों–छात्राओं के लिए आवश्यक है। छात्रों/छात्राओं को अपना परिचय–पत्र अथवा पुस्तकालय कार्ड जमा करने पर ही वाचनालय में पढ़ने के लिए पत्रिकाएं तथा पुस्तकें प्राप्त हो सकेगीं।

8. बी.ए., बी.कॅाम./बी.कॉम.(आनर्स) बी.जे.एम.सी., बी.एल.आई.एस.सी. के विद्यार्थी अपने सभी कार्य दिवसों में सम्बन्धित कक्षाओं के पुस्तकालय सहायक से पुस्तकों के आदान प्रदान करने के लिये सम्पर्क करें।

   एम.ए./एम0 कॉम हेतु पुस्तक जमा /निर्गत के समय के सम्बंध में पुस्तकालय से सम्पर्क करें।

9. पुस्तकालय में पुस्तकें प्राप्त करने में होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण हेतु पुस्तकालय समिति के प्रभारी से सम्पर्क करें।

10. प्रत्येक पुस्तक जो पुस्तकालय कार्ड के आधार पर प्रदान की जायेगी उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्ड धारक पर होगा।

स्थायी आदेश

1. ड्रेस कोड– प्रत्येक छात्र–छात्रा को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रेस में ही महाविद्यालय आना होगा।

2. स्कूटर, मोटर साइकिल तथा साइकिलें महाविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट साइकिल स्टैण्ड/पार्किंग स्थल पर ही ताला लगाकर रखी जानी चाहिए । किसी भी वाहन को निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान पर रखने की अनुमति नहीं है।

3. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के प्रवेश–पत्र/अंकपत्र उस समय तक नहीं दिये जायेंगे जब तक कालेज का समस्त देय शुल्क एवं सामग्री व अर्थदण्ड आदि का भुगतान न कर दिया गया हो।

4. महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार का अस्त्र–शस्त्र लाना, धूम्रपान करना, स्कूटर तथा मोटर साइकिल चलाना पूर्णतया वर्जित है।

5. किसी भी छात्र/छात्रा के अभिभावक अथवा सम्बन्धी–जन, मुख्य नियंता अथवा प्राचार्य की आज्ञा के बिना कालेज परिसर में उनसे नहीं मिल सकेंगे।

6. इन नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों और छात्राओं को नियंता मण्डल के निर्णयानुसार दण्ड दिया जाएगा।

7. समय–समय पर महाविद्यालय परिसर में औचक निरीक्षण का कार्य भी किए जाने का प्रावधान है। अतः

समस्त छात्रों/छात्राओं को निर्देश दिया जाता है कि वे अपना परिचय–पत्र या फोटो युक्त रसीद अपने पास रखें।

8. विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त विद्यार्थियों को प्राचार्य से महाविद्यालय में ही मिलना होगा, निवास स्थान पर नहीं ।

9. प्राचार्य ने महाविद्यालय के मुख्य नियंता (Chief Proctor) को महाविद्यालय परिसर के अन्तर्गत अनुशासन भंग करने वाले छात्रों/छात्राओं को दण्ड देने एवं निष्कासन की संस्तुति करने हेतु अधिकृत किया है।

10. बिना पूर्व अनुमति के महाविद्यालय परिसर में सभा करना, ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग करना तथा महाविद्यालय में अपने साथ उन व्यक्तियों को लाना, जो इस महाविद्यालय के संस्थागत छात्र नहीं है, वर्जित है।

11. दीवारों, दरवाजों आदि पर लेखन कार्य करना, पान, तम्बाकू तथा पान मसाला आदि की पीक थूकना, भवन इत्यादि को क्षति पहुँचाना तथा मद्यपान कर महाविद्यालय में आना दण्डनीय अपराध है। ऐसा कोई भी निषेधात्मक कार्य करने पर विद्यार्थियों द्वारा रू 500/–दण्ड शुल्क देय होगा तथा उनके विरुद्ध प्रॉक्टर द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

12. अनुशासन भंग करने वाले विद्यार्थियों को प्रॉक्टर प्रत्येक अपराध के लिए कम से कम रू 50.00 का अर्थदण्ड दे सकते हैं और यदि वे आवश्यकतानुसार अनुभव करें तो अपराध की गम्भीरता को देखते हुए निष्कासन की संस्तुति भी कर सकते हैं।

13. लखनऊ विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रत्येक छात्र–छात्रा के लिए आवश्यक है कि वह न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति को पूरा करें अन्यथा विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने नहीं दिया जायेगा।

14. विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार बी.ए./बी.कॉम, बी.एस.सी. (BSc.) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के अनुत्तीर्ण/परीक्षा में न बैठने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश नही दिया जायेगा। यदि तथ्य छिपाकर किसी भी छात्र/छात्रा ने प्रवेश लिया है, तो संज्ञान में आने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा और नियमानुसार उसके खिलाफ कार्यवाही भी की जायेगी।

कार्यालय निर्देश

1. कार्यालय का समय प्रातः 10.00 बजे से अपराहन् 5.00 बजे तक छात्र / छात्राओं के लिए है।
2. सभी छात्र / छात्राएं महाविद्यालय कार्यालय सम्बन्धी अपना कार्य काउण्टर से ही करेंगे और बिना बुलाए कार्यालय के अन्दर नहीं आयेंगे।
3. चरित्र प्रमाण–पत्र एवं माइग्रेशन प्रपत्र आवेदन करने के तीसरे दिन प्राप्त करेंगे।
4. बी.ए. / बी.एस.सी. / बी. कॉम प्रथम / द्वितीय / तृतीय वर्ष एवं एम.ए., एम. काम के छात्र / छात्राएं सम्बन्धित काउंटर / लिपिक द्वारा स्वयं ही अपना कार्य कराएंगें तथा परीक्षा फार्म, छात्रवृत्ति फार्म आदि स्वयं महाविद्यालय कार्यालय में जमा करेंगे।

मुख्य नियन्ता द्वारा अनुशासन सम्बन्धी निर्दिष्ट नीति

महाविद्यालय ज्ञान की देवी सरस्वती का पावन मन्दिर है, अतः छात्रों / छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे परिसर की शुद्धता पर विशेष ध्यान रखे। परिसर में अशोभनीय एवं अवांछित कार्य न करें। पान, गुटका, धूम्रपान मद्यपान का सेवन अनुशासनहीनता के द्योतक हैं। अतः महाविद्यालय परिसर में इनका प्रयोग सर्वथा वर्जित है। प्रांगण, कक्षाओं एवं बरामदों में शान्ति का परिचय दें। रिक्त कालचक्र में पुस्तकालय में जाकर अपने समय का सदुपयोग करें। विद्यार्थियों के आचार–विचार और संस्कार ही महाविद्यालय की गरिमा है।

महाविद्यालय प्रबन्ध समिति की संरचना

अध्यक्ष	: श्री विशाख जी, जिलाधिकारी, लखनऊ। (पदेन)
सदस्य	: श्री संजय सेठ, माननीय राज्य सभा सदस्य
	: श्री नवनीत सहगल आई.ए.एस.
	: श्री निर्मल कुमार सेठ, वरिष्ठ अधिवक्ता, हाईकोर्ट
	: प्रो. एम.पी. सिंह, पूर्व प्रतिकुलपति, ल.वि.वि.
	: श्री अमित टण्डन, सामाजिक कार्यकर्ता
	: श्री चन्द्र प्रकाश गर्ग, उद्योगपति
प्रबन्धक	: इं0 वी. के. मिश्र, पूर्व अधीक्षण अभियंता, यू0पी0 स्टेट ब्रिज कारपोरेशन
पदेन सदस्य	
प्राचार्य	: प्रो. चन्द्र मोहन उपाध्याय
शिक्षक प्रतिनिधि	: डॉ. अल्का द्विवेदी, प्रभारी शिक्षाशास्त्र विभाग
शिक्षक प्रतिनिधि	: प्रो. मनोज कुमार पाण्डेय, प्रोफेसर हिन्दी विभाग
शिक्षणेत्तर प्रतिनिधि	: श्री सुरेश वर्मा, वरिष्ठ लिपिक

महाविद्यालय की अकादमिक संरचना

प्राचार्य	: प्रो0 चन्द्र मोहन उपाध्याय, नेट, पीएच.डी.
कला संकाय	
समाजशास्त्र विभाग	: प्रो0 मीना कुमारी एम.ए., पीएच.डी. नेट, जे.आर.एफ.
	: प्रो0 वी. एन. मिश्र, एम.ए., पीएच.डी., नेट
	: श्री राजकुमार सिंह, एम.ए., नेट
	: डॉ. मो0 तनवीर, एम.ए.,जे.आर.एफ.–नेट,पीएच.डी.,पी.डी.एफ.
	: डॉ पूनम अस्थाना, एम.ए., नेट, पीएच.डी.
	: श्रीमती दीपमाला वर्मा, एम.ए., नेट
हिन्दी विभाग	: प्रो0 मनोज कुमार पाण्डेय, एम.ए., नेट, जे.आर.एफ., पीएच.डी.
	: डॉ. अरूण कुमार यादव, एम.ए., जे.आर.एफ. (नेट), पीएच.डी.
	: श्री राजीव यादव, एम.ए.,जे.आर.एफ.(नेट), एम.फिल., पीएच.डी. (Pursuing)
	: डॉ0 शोभा श्रीवास्तव, एम.ए.,पीएच.डी.
	: श्री नितिन कुमार सिंह, एम.ए., एम.फिल्., नेट, पी.एच.डी. (Pursuing)
शिक्षा शास्त्र विभाग	: डॉ0 अल्का द्विवेदी, एम.ए., एम. फिल्., पीएच.डी.
	: डॉ0 अनीता आर्य, एम.ए., पीएच.डी., नेट
	: डॉ0 मंजूषा अवस्थी, एम.ए., पीएच.डी.,
राजनीतिशास्त्र विभाग	: श्री डी.सी.डी.आर. पाण्डेय, एम.ए., नेट/जे.आर.एफ
	: डॉ0 मनीषा सिंह, एम.ए., पीएच.डी.

	: डॉ0 श्वेता पाण्डेय, एम.ए., पीएच.डी.
	: डॉ0 एस0 पी0 सिंह, एम.ए., नेट, एम. फिल्., पीएच.डी.
	: डॉ0 आदर्श कौशल, एम.ए., पीएच. डी.
प्राचीन भारतीय इतिहासः	: प्रो0 अर्चना मिश्रा, एम.ए.,पीएच.डी. नेट
शारीरिक शिक्षा विभाग	: प्रो0 कल्याणी द्विवेदी, एम.पी.एड.,पीएच.डी., नेट
	: डॉ0 मुकेश कुमार मिश्र, एम.पी.एड., नेट, पीएच.डी.
अर्थशास्त्र विभाग	: श्रीमती सुषमा राठौर, एम.ए., नेट
अंग्रेजी विभाग	: सुश्री सुष्मिता पाण्डेय, एम.ए., नेट
	: सुश्री श्रुति मिश्रा, एम.ए., नेट, पीएच.डी., (Pursuing)
भूगोल विभाग	: सुश्री मनस्वी शुक्ला, एम.ए., नेट
	: श्री सुरेन्द्र वर्मा, एम.ए., नेट
आधुनिक इतिहास विभाग	: श्री प्रभाष दीक्षित, एम.ए., नेट
	: डॉ. रिचा मिश्रा, एम.ए., पीएच. डी.

ग्रन्थालय एवं सूचना विज्ञान–

: सुश्री संघमित्रा गौतम, एम.एल.आइ.एस.सी., नेट
: डॉ. आशुतोष अग्रहरि, एम.एल.आइ.एस.सी., नेट, पीएच.डी.

वाणिज्य संकाय (स्थाई सम्बद्धता प्राप्त)

: डॉ. रश्मि मिश्रा, एम.कॉम., पीएच.डी.
: डॉ बबिता नीरज शुक्ला, एम.कॉम, पीएच.डी
: डॉ प्रीतिश चन्द्र वैश्य, एम.ए., पीएच.डी
: डॉ. शिव कुमार, एम.काम., नेट, पीएच. डी.
: डॉ. अमित वर्मा, एम.काम., पीएच.डी.
: डाॅ. स्तुति त्रिपाठी, एम. काम पीएच.डी.
: डॉ. गुन्चा फातिमा, एम. काम, पीएच.डी.
: श्री विशाल गर्ग, एम. काम, नेट

विज्ञान संकाय

: डॉ. प्रवीर सिंह, एम.एस.सी., पीएच.डी.(रसायन विज्ञान)
: डॉ. वन्दना यादव, एम.एस.सी., पीएच.डी. (वनस्पति विज्ञान)
: डॉ. अनमोल चंद जैन, पीएच.डी. (कम्प्यूटर साइंस)
: डॉ. इरा रस्तोगी, एम.एस.सी., पीएच.डी. (जन्तु विज्ञान)
: डॉ. भावना गुप्ता, एम.एस.सी., पीएच.डी. (वनस्पति विज्ञान)
: डॉ. सीता यादव, एम.एस.सी., पीएच.डी. (जन्तु विज्ञान)
: डॉ. अल्का मिश्रा, एम.एस.सी., पीएच.डी. (भौतिक विज्ञान)
: डॉ. एस0 ए. सिद्दीकी, एम.एस.सी., पीएच.डी. (रसायन विज्ञान)
: श्री संजीव श्रीवास्तव, एम.एस.सी., नेट. (गणित)

लैब सहायक : सुश्री राशि साहू, बी.एस.सी.

शिक्षणेत्तर वर्ग

कार्यालय : : श्री सत्यप्रकाश प्रसाद, एम.काम., सहायक लेखाकार, कार्यालय अधीक्षक (कार्यवाहक)

नैत्यिक लिपिक :
: श्री मनोज कुमार यादव
: श्री सुरेश कुमार वर्मा
: श्री रोहित टण्डन, स्ववित्तपोषित
: श्री इरफान अहमद, स्ववित्तपोषित
: श्री अभिषेक निगम, स्ववित्तपोषित
: श्री आयुष गुप्ता, स्ववित्तपोषित
: श्री रूपम वर्मा, स्ववित्तपोषित
: श्री पुष्पेन्द्र कुमार, स्ववित्तपोषित
: सुश्री जेबा, स्ववित्त पोषित

कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी) :
: श्री राजकुमार (परिचर)
: श्री सुनील कुमार धानुक (सफाई कर्मचारी)

–: संपर्क सूत्र :–

प्राचार्य–	श्री चन्द्र मोहन उपाध्याय	8318648159
कार्यालय–	श्री सत्यप्रकाश प्रसाद	9415796753
	श्री रोहित टण्डन	7905347193
प्रवेश समिति –	प्रो0 मनोज कुमार पाण्डेय (कला संकाय एवं प्रोफेशनल कोर्स)	9450365920
	डॉ0 शिव कुमार (वाणिज्य संकाय)	8896856848
	डॉ0 इरा रस्तोगी (विज्ञान संकाय)	9839518214
कुलानुशासक –	डॉ0 डी0सी0डी0आर0 पाण्डेय (मुख्य नियंता)	9453251080
	प्रो0 कल्याणी द्विवेदी – (महिला प्राक्टर)	9452190391

आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया

1. महाविद्यालय में ऑनलाईन संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी सर्व प्रथम कार्यालय के काउन्टर न0 4 से रुपये 600.00 का भुगतान करके विवरण पुस्तिका प्राप्त करेंगे। विवरण पुस्तिका में एक टोकन नं0 लिखा होगा, इसी न0 से ऑन लाइन आवेदन करना होगा।
   प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश से पहले लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाईट से LURN क्रमांक अवश्य आवंटित करवाना होगा।
2. अभ्यर्थी टोकन नं0 और पाठ्यक्रम (बी0ए0/बी0कॉम0/बी0एस0सी0....) को सावधानी से भरें, क्योंकि टोकेन नं0 एक विषय में लॉगिन होने के पश्चात् लॉक हो जायेगा तथा दूसरे विषय में नहीं खुलेगा।
3. जो छात्र ऑन लाइन भुगतान करना चाहते हैं, वे महाविद्यालय की वेबसाईट– Website:www.kcpgclko.in पर रु0 600/– का ऑनलाईन भुगतान करके अपना आवेदन फार्म भर सकते हैं।
4. विवरण–पुस्तिका और टोकन नं0 प्राप्त करने के पश्चात् छात्र महाविद्यालय की वेबसाईट– Website:www.kcpgclko.in पर login करेंगे और online Apply पर Click करेंगे। Online Apply पर Click करने के पश्चात् Next Page पर 03 Option दिखाई देंगे। Part-01, Part-02, Part-03
   Part-1- जो अभ्यर्थी आवेदन फार्म विवरण–पुस्तिका (Prospectus) की फीस ऑनलाईन भुगतान करना चाहते हैं, वो पार्ट–01 में जाकर रु0 600/– का भुगतान कर सकते हैं।
   Part-2- आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् छात्र Part-02 में अपना आवेदन फार्म भरकर पूर्ण करेंगे।
   Part-3- भरे हुए आवेदन फार्म का फाइनल प्रिंट निकालकर छात्र निम्नलिखित संलग्नकों के साथ महाविद्यालय में जमा करेगा

संलग्नक :–

1. हाईस्कूल की मार्कशीट, प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
2. इण्टरमीडिएट की मार्कशीट, प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
3. स्नातक की मार्कशीट, प्रमाणपत्र की छायाप्रति (परास्नातक के छात्रों के लिए)
4. अन्तिम संस्था से निर्गत स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (T.C./Migration)
5. अन्तिम संस्था से निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र।
6. जाति प्रमाण–पत्र।
7. आय प्रमाण–पत्र।
8. आधार कार्ड की छाया प्रति।
9. पासपोर्ट साइज का एक नवीन फोटो।
10. (1) अभिभावक का मोबाईल नं0 (2) छात्र का मोबाईल नं0 (Whats app No)(3) छात्र की ई–मेल आई0डी0।

नोट : महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी द्वारा किसी भी स्थिति में मो. न./ईमेल आई.डी. बदली जाती है तो इसकी सूचना कार्यायल में तुरंत उपलब्ध कराये अन्यथा महाविद्यालय की कोई भी सूचना न प्राप्त होने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
प्रवेश के समय समस्त संलग्नक की मूल प्रति लाना अनिवार्य है।

Online Process

i. WWW.kcpgclko.in	ii. Online Apply
iii. For 1 Year	iv. Part 2 Registration
v. Form No..................................	vi. Token No..................................
vii. Name	viii. Course ....

Submit

Photo & Signature Scan करके Upload करें Printout निकालकर आवेदन–पत्र के साथ सभी उत्तीर्ण अंकतालिकाओं, आधार कार्ड अथवा वोटर–आई0 डी0 व आवश्यक संलग्नकों के साथ महाविद्यालय में जमा करें।

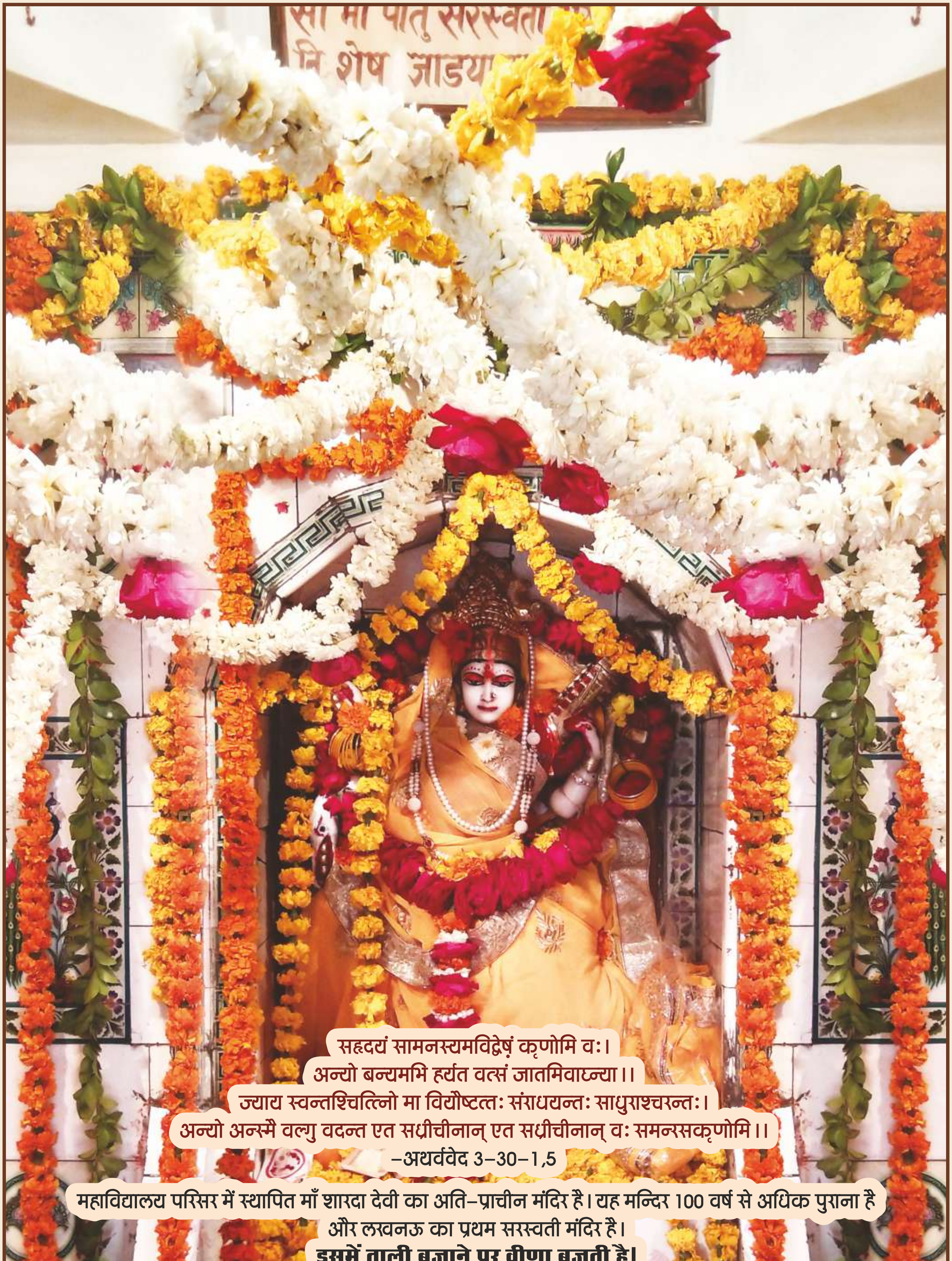
सहृदयं सामनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः।
अन्यो बन्यमभि हर्यत वत्सं जातमिवाघ्न्या।।
ज्याय स्वन्तश्चित्तिनो मा वियौष्टत्तः संराधयन्तः साधुराश्चरन्तः।
अन्यो अन्स्मै वल्गु वदन्त एत सध्रीचीनान् एत सध्रीचीनान् वः समन्रसकृणोमि।।
–अथर्ववेद 3–30–1,5
महाविद्यालय परिसर में स्थापित माँ शारदा देवी का अति–प्राचीन मंदिर है। यह मन्दिर 100 वर्ष से अधिक पुराना है
और लखनऊ का प्रथम सरस्वती मंदिर है।
इसमें ताली बजाने पर वीणा बजती है।

पदक एवं सम्मान

कालीचरण पी0जी0 कालेज लखनऊ द्वारा अपने स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष मेधावी छात्रों/छात्राओं को विभिन्न पदक एवं सम्मान से सम्मानित किया जाता है। एम0काम0 प्योर के छात्र/छात्राओं को प्राचार्य पदक, एम0काम0 एप्लाइड इकोनामिक्स के छात्र/छात्राओं को प्रबन्धक पदक, एम0ए0हिन्दी के छात्र/छात्राओं को डॉ0 श्याम सुन्दर दास स्मृति पदक, एम0ए0 समाजशास्त्र के छात्र/छात्राओं को पं0 शिवचन्द्र त्रिवेदी पदक व लाला कालीचरण स्मृति पदक, बी0काम0 के छात्र/छात्राओं को गंगा प्रसाद वर्मा स्मृति पदक एवं बी0ए0 के छात्र/छात्राओं को कालीचरण विद्यालय इण्डाउमेंट ट्रस्ट अध्यक्ष पदक से नवाजा जाता है।

मूल्य: ₹ 600/– मात्र